



Neutral Citation No - 2026:AHC:29691-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2026 की 1400

मोहद. सरफ़राज़ अहमद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संजीव कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परीक्षण किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों हेतु दाखिल की गई है:-

"(i) प्रतिवादी संख्या 3 को यह समादेशित एवं निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे सम्बन्धित अधिकारियों को याचिकाकर्ता का नाम प्रतिवादी संख्या 3 के यहाँ संधारित कथित हिस्ट्री शीट से विलोपित करने हेतु निर्देशित करें तथा प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देशित करने की भी कृपा की जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 04.11.2025 के अभ्यावेदन, जो उनके समक्ष लंबित है और अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है, पर विहित अवधि के भीतर सकारण आदेश पारित करें।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) ऐसी अन्य रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किए जाएँ, जिन्हें यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित समझे।

(iii) इस याचिका का वाद-व्यय अधिनिर्णीत किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि 9 प्रकरणों के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रपत्र-ए में हिस्ट्री शीट आरम्भ की गई है। उक्त हिस्ट्री शीट के खोले जाने के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.11.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। तथापि, उक्त अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया है और वह अभी भी लंबित है।

4. उक्त के दृष्टिगत, प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक, देवरिया को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 04.11.2025 के अभ्यावेदन को विधि अनुसार यथासंभव शीघ्र विनिर्णीत करें।

5. उपर्युक्त प्रेक्षणों के साथ, यह रिट याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"